भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 683
उत्तर दिया जाएगा: 28.11.2024

जनजातीय लोगों में उच्च गरीबी दर

†683. श्री चिंतामणि महाराजः

क्या जनजातीय मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पारंपरिक निर्वाह अर्थव्यवस्थाओं से बाजार आधारित प्रणालियों में बदलाव के कारण जनजातियाँ दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पिछड़ रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातियों में उच्च गरीबी दर होने का मुख्य कारण उक्त समस्या है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त समस्या पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

जनजातीय मंत्रालय राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के माध्यम से "जनजातीय उत्पादों/उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन" योजना के लिए मूल्यांकन अध्ययन किया, जिसमें एसटी द्वारा अपने उत्पादों के विपणन में आने वाली चुनौतियों के आकलन से ऋण लिंकेज की कमी, नए डिजाइनों के लिए अपर्याप्त प्रदर्शन, राज्य की राजधानियों के स्तर से नीचे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ (ट्राइफेड) की पहुंच में कमी, पेटेंट संबंधी मुद्दे और उत्पादों के विस्तार के लिए धन की कमी का पता चला।

साथ ही, जनजातीय क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए सरकार द्वारा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) (जिसे अब अनुसूचित जनजाति घटक कहा जाता है) रणनीति अपनाई गई है। इसमें विकास के सभी क्षेत्रों से व्यय और लाभ के प्रवाह को एसटी आबादी तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है।

जनजातीय मामलों का मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान भी देता है, जिसमें राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ आय सृजन के अवसरों के लिए उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए धन जारी किया जाता है, जो गरीबी के मुद्दे को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अपनी चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से स्वरोजगार आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए एसटी के व्यक्तियों या समूहों को रियायती ऋण प्रदान करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान 623605 लाभार्थियों को 1577.12 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के अंतर्गत, ट्राइफेड लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद और एमएफपी और गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन गतिविधियों के लिए वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को परिक्रामी निधि प्रदान करता है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को परिक्रामी निधि के रूप में 319.65 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसके विरुद्ध योजना के तहत उनके द्वारा 664 करोड़ रुपये के एमएफपी की खरीद की गई है। देश भर में 3958 वीडीवीके की स्थापना के लिए 587.36 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की गई है।

इसके अलावा ट्राइफेड अपने सूचीबद्ध आदिवासी कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, चित्रकारी, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के तहत अपने उत्पादों के विपणन के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, ट्राइफेड ने 130.58 करोड़ रुपये की खरीद की है और 186.02 करोड़ रुपये की बिक्री की है।

*****